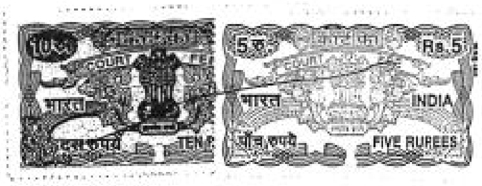

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर मध्यप्रदेश

निगरानी 1031-PBR-15

प्रकरण क्रं. /पीवीआर/2015/निगरानी

पंजाब सिंह पुत्र श्री भगवंत सिंह (फोत)
वारिसान तहसीलदार सिंह, नाथूसिंह, वकील सिंह, रामवरन सिह, गजेन्द्र सिंह, रणवीर सिंह पुत्रगण स्व. पंजाब सिंह, श्रीमती शांतीबाई बेवा पंजाब सिंह निवासीगण ग्राम घेघोली तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर

विरूद्ध

1. श्रीमती मुन्नी बाई पत्नी स्व. श्री रामहेत
2. नत्था पुत्र स्व. श्री रामहेत
   निवासीगण-ग्राम घेघोली तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी घाटीगांव जिला ग्वालियर के अपीलीय प्रकरण क्रं. 9/2012-13/अपील दिनांक 20.04.15 अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1031– PBR / 15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–5–2015	आवेदक की ओर से श्री जितेन्द्र स्वामी अभिभाषक उपस्थित । उन्हें प्रकरण के ग्राह्यता पर सुना गया । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21–4–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी का अपीलीय आदेश है, और अपीलीय आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत किए जाने का कोई प्रावधान संहिता में नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया प्रचलन योग्य नहीं है । आवेदक अभिभाषक के निवेदन पर प्रकरण आवेदक अभिभाषक को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाये । अध्यक्ष	मूल निगरानी मेमो सट्टे सट की कॉपी आवश्यकता व राजस्व मण्डल के आदेश की फोटो कॉपी प्राप्त की J. Swami (Adv.) 22/05/15